बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 39/14–15

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम –	अंचल कार्यालय, मखदुमपुर, जहानाबाद।
(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि –	लेखा वर्ष 2011–12 से 2012–13 तक
(ग) प्रशासी विभाग का नाम –	भूराजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदा0 का पदनामः–	जिला पदाधिकारी, जहानाबाद।

(ड़) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदा0 एवं कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –

1. श्री अखिलेश कुमार, अंचलाधिकारी दि0– 27.01.10 से15.4.11 तक।
2. श्री द्वारिका चौधरी, अंचलाधिकारी दि0– 16.4.11 से 30.9.11 तक ।
3. श्री श्रीधर पाण्डेय, अंचलाधिकारी दि0– 1.10.11 से 19.12.11 तक।
4. मो0 शफीक, वि0 प्र0 से0, अंचलाधिकारी दि0– 20.12.11 से 7.2.12 तक।
5. श्री कौशल किशोर, भा0 प्र0 से0, अंचलाधिकारी दि0– 8.2.12 से 22.5.12 तक
6. श्री राजकुमार गुप्ता, अंचलाधिकारी दि0– 23.5.12 से 22.6.12 तक
7. श्री संजय कुमार, अंचलाधिकारी दि0– 23.6.12 से 4.7.12 तक।

8. श्री संजय कुमार अम्बष्ट, अंचलाधिकारी दि0– 5.7.12 से अद्यतन।

9. श्री सुरेन्द्र चौधरी, प्रधान सहायक 1.4.11 से अद्यतन ।

10. श्री शम्भु प्रसाद वर्मा, रोकड़पाल दि0– 1.4.12 से 20.12.13 तक

11. श्री दिनेश कुमार प्रभाकर, रोकड़पाल दि0– 1.1.14 से अद्यतन।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम/पदनाम –

1. श्री सुरेन्द्र चौधरी, प्रधान सहायक
2. श्री दिनेश कुमार प्रभाकर, रोकड़पाल

(छ) वरीय अंकेक्षकों के नाम –

1. मो0 जावेद अनवर, व0 अं0– 2
2. श्री उदय शंकर, व0 अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 7.02.2014

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि – दि0 10.7.2014

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – $41 \frac{2}{3}$ दिन औसतन ।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर दिया गया है।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र –

(i) अंकेक्षण का प्रकार – सामान्य अंकेक्षण।

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के आदेश संख्या एवं तिथि – अंचल कार्यालय मखदुमपुर का अंकेक्षण विभागीय ज्ञापांक 3286 दि0 – 15.9.60 में निहित आदेश के आलोक में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अंकेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया।

(iii) कार्यालय का कार्यक्षेत्र – अंचल कार्यालय, मखदुमपुर, जहानाबाद का कार्य क्षेत्र वर्ष 2011–12 एवं 12–13 में ग्यारह हल्कों में बँटा था। इन हल्कों के माध्यम से राजस्व कर्मियों द्वारा भूराजस्व की वसूली की जाती हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न मदों में राशियों का आवंटन अंचल कार्यालय को प्राप्त होता हैं। जो जनहित के कार्यो में खर्च किया जाता हैं।

(iv) वित्तीय स्त्रोत – अंकेक्षित अवधि में अंचल कार्यालय, मखदुमपुर, जहानाबाद को सरकार द्वारा शीर्ष 2029 भू–राजस्व, 2055 ग्रामीण पुलिस 2245 सहाय्य, 2235 सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत आवंटन द्वारा राशियों की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा भू–राजस्व से राशियों की प्राप्ति होती हैं। " माँग एवं वसूली की विवरणी" परिशिष्ट "स" पर द्रष्टव्य, इसके जाँच हेतु अंकेक्षण में लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके फलस्वरूप जाँच नहीं की जा सकी।

(v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति – जहानाबाद कोषागार के अभिलेखों से जमा एवं निकासी की राशियों का शत् प्रतिशत् किया गया एवं सही पाया। कोषागार सत्यापन में पायी गई त्रुटियों का उल्लेख आगे की कंडिका में किया गया हैं।

(vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन की अनुपालन की स्थिति – पूर्व में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कराये जाने के कारण अनुपालन की समीक्षा नहीं की जा सकी।

(vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :– पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अनुपालन की समीक्षा नहीं की जा सकी।

(3) वित्तीय समीक्षा :– आवंटन से अधिक निकासी नहीं की गई थी।

(i) अंकेक्षित अवधि में अंचल कार्यालय, मखदुमपुर जहानाबाद को प्राप्त आवंटनों का आवंटन एवं व्यय विवरणी परिशिष्ट "ग" पर द्रष्टव्य हैं। आंवटन एवं व्ययन विवरणी में दिखलायी गई बचत राशियों का प्रत्यार्पण से संबंधित पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः बचत राशियों की समीक्षा हेतु प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं।

(ii) माँग एवं संग्रहण विवरणी की समीक्षा :– राजस्व वसूली की कार्रवाई में शिशिलता बरती गई हैं। अतः वसूली की कार्रवाई में तीव्रता लाने हेतु प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया

जाता हैं। माँग एवं संग्रहण विवरणी में वर्ष 2011–12 में अवशेष राशियों (बकाया राशियों) को वर्ष 2012–13 में सम्मिलित कर दी गयी थी।

(iii) भौतिक सत्यापन :– रोकड़ पंजी संवरण शेष का भौतिक सत्यापन रोकड़ पुस्त अद्यतन नहीं लिखे रहने के कारण नहीं कराया गयां

रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति :–

दि0 1.4.11 – 41,29,702 विस्तृत विवरणी नहीं दर्शायी गई थी।

दि0 31.3.12– 29,83,540 विस्तृत विवरणी नहीं दर्शायी गई थी।

दि0 1.4.12 – 29,83,540 विस्तृत विवरणी नहीं दर्शायी गई थी।

दि0 31.3.13– 33,76,660 विस्तृत विवरणी नहीं दर्शायी गई थी।

(4) अंकेक्षित कार्यालय में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :–

क्र0 सं0	स्वीकृत बल		कार्यरत बल		अधिक/कम रिक्त पद
	पदनाम	संख्या	पदनाम	संख्या	रिक्त पदों की संख्या।
1	अंचलाधिकारी	01	अंचलाधिकारी	01	–
2	अंचल निरीक्षक	01	अंचल निरीक्षक	01	–
3	प्रधान लिपिक	01	प्रधान लिपिक	01	–
4	लिपिक	05	लिपिक	04	01
5	अनुसेवक	04	अनुसेवक	04	–
6	अमीन	01	अमीन	01	–
7	चालक	01	चालक	01	–
8	राजस्व कर्मचारी	12	राजस्व कर्मचारी	11	–01
9	दफादार	07	दफादार	03	04
10	चौकीदार	63	चौकीदार	43	20

कार्यरत बल स्वीकृत बल के अन्तर्गत पाया गया।

भाग–2

(5) वास्तविक वसूली से रू0 14610.00 कम जमा कर गबन। :–

(क) रूपये 60.00 कम जमा कर गबन किया जाना ।

लगान वसूली संबंधी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि हल्का सं0 –9 पलेया से राजस्व कर्मचारी द्वारा माह जनू 2011 में कुल रूपया 4465.00 की वसूली की गई थी। रोकड़ पुस्त (रजिस्टर –III A) के पृष्ठ सं0 8 में अंकित। राजस्व कर्मचारी द्वारा अंचल कार्यालय में कुल रू0 4465 की जगह रू0 4405.00 ही जमा करायी गयी थी। योग में त्रुटि के कारण कुल रूपये (4465–4405)=60 रूपये कम जमा कराया गया। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं की गई एवं मूल आपत्ति की प्रति भी नहीं लौटायी गयी।

इस प्रकार रूपये 60.00 अंचल नजारत में जमा नहीं पाया गया।

(ख) रूपये 244.00 कम जमा किया जाना :–

लगान वसूली संबंधी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न हल्का के राजस्व कर्मचारियों द्वारा अंकेक्षित अवधि में लगान रसीद के माध्यम से वसूली गई राशियों कुल रू0 1341 को राजस्व कर्मचारी द्वारा अंचल कार्यालय में कुल रू0 1341 की जगह 1097 ही जमा करायी गई थी। योग में त्रुटि के कारण कुल रूपये (1341–1097)= 244 रूपये कम जमा कराया गया। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं की गई एवं मूल आपत्ति ही प्रति भी नहीं लौटायी गई।

इस प्रकार रूपये 244.00 अंचल नजारत में जमा नहीं पाया गया। विवरणी निम्न प्रकार है :–

हल्का सं0	लगान रसीद सं0	वसूली गई वार वास्तविक राशि	रजिस्टर III A में अंकित राशि	रजिस्टर III A का पृष्ठ सं0	अन्तर राशि
07	214760	18.00	10.00	45	8.00

07	214771	118.00	113.00	45	5.00
02	845149	23.00	—	3	23.00
02	845170	22.00	18.00	18	4.00
02	41303	82.00	6.00	11	76.00
02	41268	37.00	28.00	14	9.00
02	891324	G 86.00	621.00	20	65.00
02	891342	24.00	20.00	20	4.00
02	051608	236.00	226.00	28	10.00
02	021160	61.00	51.00	—	10.00
05	254000	20.00	—	—	20.00
05	568830	14.00	4.00	—	10.00
	कुल —	1341.00	1097.00		244.00

(ग) रूपयें 500.00 कम जमा किया जाना :—

लगान वसूली संबंधी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि हल्का सं0 05 के राजस्व कर्मचारी द्वारा वर्ष 2011—12 की अवधि में कुल रूपया 44,591.00 की वसूली की गई थी। (रजिस्टर III A के पृष्ठ सं0 33 पर अंकित)। राजस्व कर्मचारी द्वारा अंचल कार्यालय में कुल 44591 की जगह 44,091.00 ही जमा करायी, गयी थी। योग में त्रुटि के कारण कुल रूपयें (44591—44091) =500 कम जमा कराया गया। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं की गई एवं मूल आपत्ति की प्रति भी नही लौटायी गयी।

इस प्रकार रूपयें 500.00 अंचल नजारत में जमा नहीं पाया गया।

(घ) रूपये 1626.00 कम जमा किया जाना :— लगान वसूली संबंधी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि हल्का सं0 — 8 से राजस्व कर्मचारी द्वारा वर्ष 2011—12 में कुल रूपये 26640.00 की वसूली की गई थी। (विवरणी नीचे अंकित) राजस्व कर्मचारी द्वारा अंचल

कार्यालय में कुल रूपये' 26640 की जगह रूपयें 25014.00 ही जमा करायी गयी थी योग में त्रुटि के कारण कुल रूपयें (26640–25014)=1626 रूपयें कम जमा कराया गया। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं की गई एवं मूल आपत्ति की प्रति भी नहीं लौटायी गयी।

इस प्रकार रूपये 1626.00 अंचल नजारत में जमा नहीं पाया गया।

वसूली से संबंधित विवरणी

रजिस्टर III A पृष्ट सं0	रजिस्टर III A में योग की राशि	वास्तविक योग की राशि	अन्तर राशि वसूली योग्य
74	6088	6298	170.00
73	5419	5429	10.00
66	4630	6128	498.00
52	3115	3491	376.00
51	2626	2772	144.00
48	3134	3562	428.00
	25014	26640	1626.00

(ड़) रू0 111.00 कम जमा किया जाना :–

लगान वसूली संबंधी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 12–13 में लगान रसीद सं0 181 द्वारा जगेश्वर माँझी, पिता– शनिचार माँझी से लगान के रूप में रू0 111.00 राजस्व कर्मचारी द्वारा वसूली की गयी थी, परन्तु रजिस्टर III A एवं रोकड़ पुस्त में इस राशि को अंकित नहीं किया गया था। जिसके फलस्वरूप रू0 111.00 कम जमा कराया गया। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं की गई एवं मूल आपत्ति की प्रति भी नहीं लौटायी गयी।

इस प्रकार रूपयें 111.00 अंचल नजारत में जमा नहीं पाया गया।

(च) रूपये 13.00 कम जाम किया जाना :–

लगान वसूली संबंधी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि लगान रसीद सं0 214760 माह सितम्बर 12 में लगान के रूप में रू0 18.00 की वसूली की गई थी, परन्तु रजिस्टर III A में 18.00 के जगह पर 10.00 रू0 वसूली कर अंकित किया गया था, जिसके फलस्वरूप रू0 (18–10) =8 कम जमा पाया गया। इसी प्रकार रसीद सं0 214771 द्वारा लगान के रूप में 118.00 की वसूली की गई थी परन्तु रजिस्टर III A (कैश बुक में) में रू0 118 की जगह रू0 113.00 की वसूली अंकित किया गया था।

इस प्रकार रू0 5.00 (118–113) की राशि कम जमा कराया गया। अतः कुल राशि 8+5=13 रू0 कम जमा कराया गया। इस संबंध में निर्ग्रत आपत्ति का अनुपालन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं की गई एवं मूल आपत्ति की प्रति भी नहीं लौटायी गयी। इस प्रकार रू0 13.00 अंचल नजारत में जमा नहीं पाया गया।

(छ) रू0 9520.00 कम जमा किया जाना :– लगान वसूली संबंधी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि हल्का सं0 –01 से राजस्व कर्मचारी द्वारा वर्ष 2011–12 ही अवधि में कुल रूपया 47861.00 की वसूली की गई थी (वसूली की विवरणी नीचे अंकित है) राजस्व कर्मचारी द्वारा अंचल कार्यालय में कुल 47861.00 की जगह 38341.00 रू0 ही जमा करायी गयी थी योग में त्रुटि के कारण कुल रूपये 9520.00 अंचल नजारत में (47861–38341) कम जमा पाया गया।

लगान वसूली से संबंधित विवरणी ।

क्रमांक	रजिस्टर 3 A पृष्ठ सं0	वास्तवकि योग की राशि	रजिस्टर 3 A में योग की अंतिम राशि	अन्तर राशि वसूली योग्य
1	01	3870.00	3775.00	95.00
2	02	4078.00	3988.00	90.00
3	04	6178.00	4578.00	1600.00

4	05	3030.00	1436.00	1594.00
5	07	2915.00	2415.00	500.00
6	08	4176.00	4136.00	40.00
7	10	2436.00	2036.00	400.00
8	18	3281.00	2287.00	994.00
9	22	4149.00	3444.00	705.00
10	26	3212.00	2210.00	1002.00
11	27	5021.00	3221.00	1800.00
12	28	5515.00	1815.00	700.00
	कुल –	47861.00	38341.00	9520.00

अतः रूपये 9520.00 अंचल नजारत में कम जमा पाया गया।

(ज) रू0 2536.00 कम जमा किया जाना :–

लगान वसूली संबंधी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि हल्का सं0–03 से राजस्व कर्मचारी द्वारा वर्ष 12–13 की अवधि में रू0 कुल रू0 15478.00 की वसूली की गई थी। वसूली की विवरणी नीचे अंकित है) राजस्व कर्मचारी द्वारा अंचल कार्यालय में रू0 15478.00 की जगह 12942 रू0 ही जमा करायी गई थी योग में त्रुटि के कारण कुल रू0 2536.00 (15478–12,942= 2536) अंचल नजारत में कम जमा पाया गया।

लगान वसूली से संबंधित विवरणी :–

क्रमांक	रजिस्टर 3 A पृष्ठ सं0	वास्तवकि योग की राशि	रजिस्टर 3 A में योग की अंतिम राशि	अन्तर राशि वसूली योग्य
1	10	3168.00	3068.00	100.00
2	24	4324.00	2318.00	2006.00
3	33	2091.00	1971.00	120.00

4	34	3328.00	3028.00	300.00
5	36	2567.00	2557.00	10.00
		15478.00	12942.00	2536.00

इस प्रकार उपर्युक्त उप कंडिका 'क' की राशि रू0 60.00 'ख' की राशि रू0 244.00 'ग' की राशि रू0 500.00 'घ' की राशि रू0 1626.00 'ड़' की राशि रू0 111.00 'च' की राशि रू0 13.00 'छ' की राशि रू0 9520.00 एवं 'ञ' की राशि 2536 रू0 कुल 14610.00 रू0 वास्तविक वसूली से

इस प्रकार उपर्युक्त उप कंडिका (क) की राशि 60.00, (ख) की राशि रूपये 249.00, (ग) की राशि रू0 500.00, (घ) की राशि रू0 1626.00, (ड़) की राशि रू0 111.00,(च) की राशि रू0 13, (छ) की राशि रू0 9520.00 एवं (ज) की राशि 2536 रू0 कुल 14610.00 रू0 का वास्तविक वसूली से अंचल नजारत में कम जमा कर गबन कर लिया गया, जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों पर यथोचित विधि सम्मत कार्रवाई कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(6) कंडिका रू0 4561.00 आपत्तिअन्तर्गत :–

शीर्ष 2029 के इंधन से संबंधित अभिश्रवों की जाँच एवं संगत अभिलेखों से मिलान में पाया गया कि क्रय किये गए ईंधन के अभिश्रवों पर न तो गाड़ी सं0 और नहीं चालक का हस्ताक्षर था। तथा लॉग बुक में तेल की मात्रा की प्रविष्टी का प्रमाण पत्र भी अंकित नहीं पाया गया, जिसके फलस्वरूप ईंधन पर किये गये कुल व्यय की राशि एवं 4561.00 का भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता हैं। अभिश्रवों से संबंधित विवरणी निम्नलिखित प्रकार है :–

क्र0 सं0	विपत्र सं0	अभिश्रव सं0 भुगतान तिथि	पेट्रोल पम्प का नाम	क्रय की मात्रा	दर	भुगतान की राशि
1	69/11–12	6004/ 24.5.12	भरथु ऑटो सर्विस जहानाबाद	3.2 ली0 पेट्रोल	65.50	200.00
2	69/11–12	6031/	श्री कृष्णा सर्विसेज	0.5 ली0	39.94	200.00

		24.5.12	स्टेशन, जहानाबाद	डीजल		
3	69/11–12	6070/ 24.5.12	तदैव	40 ली0 डीजल	43.51	1000.00
4	69/11–12	6072/ 24.5.12	कन्हैया किसान सेवा केन्द्र मखदुमपुर, जहानाबाद	23 ली0 डीजल	43.51	1000.00
5	69/11–12	6073/ 24.5.12	भरथु ऑटो सर्विस जहानाबाद	06 ली0 डीजल	43.48	261.00
6	69/11–12	6079/ 24.5.12	तदैव	9.19 ली0 डीजल	43.48	400.00
7	69/11–12	6081/ 24.5.12	तदैव	4.52 ली0 पेट्रोल	66.27	300.00
8	69/11–12	6095/ 24.5.12	तदैव	9.1 ली0 डीजल	43.42	400.00
9	69/11–12	6123/ 24.5.12	तदैव	7.5 ली0 पेट्रोल	66.29	500.00
10	69/11–12	6134/ 24.5.12	तदैव	4.31 ली0 पेट्रोल	69.55	300.00
					कुल –	4561.00

ईंधन पर कुल व्यय रू0 4561.00 का भुगतान के संबंध में स्थिति स्पष्ट कराने हेतु आपत्ति निर्गत किया गया था। अंकेक्षण में क्रयादेश, लॉगबुक आदि अनुपलब्ध रहा, जिसके फलस्वरूप व्यय की गई राशि का औचित्य स्पष्ट नहीं हो सकी।

इस संबंध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन अंकेक्षण समाप्ति तक नहीं किया गया और न ही आपत्ति की मूल प्रति लौटायी गयी।

अतः उच्च पदाधिकारीयों का ध्यान ईंधन पर किया गया कुल व्यय की राशि रू0 4561.00 की ओर आकृष्ट किया जाता हैं कि किया गया व्यय की राशि की औचित्यता की जाँच स्तंभ कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को सूचित किया जाय तब तक ईंधन पर किया गया व्यय की कुल राशि रू0 4561.00 आपत्तिअन्तर्गत रखी जाती हैं।

कंडिका (7) भण्डार प्रविष्टि के अभाव में क्रय सामग्रियों पर किया गया व्यय रू0 30,001.00 आपत्ति अन्तर्गत :–

शीर्ष 2029 आकस्मिक व्यय से संबंधित अभिश्रव का जाँच संगत अभिलेखों से करने पर पाया गया कि क्रय किये गये सामग्रियों (स्टेशनरी) आदि पर कुल रू0 30,001.00 का भुगतान किया गया था। जाँच में क्रय किये गये सामग्रियों से सम्बन्धित अभियाचना, क्रयादेश एवं भण्डार पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही अभिश्रव पर भण्डार प्रविष्टी का प्रमाण भी अंकित नहीं पाया गया, इससे यह प्रतीत होता है कि कार्यालय द्वारा भंडार पंजी का संधारण ही नहीं किया गया था जो बिहार वित्तीय नियमावली की भाग–1 के नियम 132 एवं 133 के विरूद्ध हैं।

क्रय किये गये सामग्रियों की विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	विपत्र सं0 भुगतान तिथि	अभिश्रव सं0	दुकान का नाम	समानों का नाम	मात्रा	दर	राशि
1	70/11–12 24.5.12	5810	श्री बालाजी जेनरल एण्ड स्टेशनर्स 25.10.10	A4	4Pk	@ 154	1356.00
2	70/11–12 24.5.12	5812	मे0 सुधा इन्टर प्राईजेज एण्ड स्टेशनरी, पी0 जी0	1 जिस्ता कॉपी	5 No.	@ 12	60.00

			रोड, जहानाबाद– 25.10.10				
3	70/11–12 24.5.12	5813	रूची ऑटोमेटिक फोटो स्टेट 23.10. 10 जहानाबाद	फोटो स्टेट	14 Pe	@ 1	14.00
4	70/11–12 24.5.12	5815	शर्मा फोटो स्टेट एण्ड लेमिनेशन मखदुमपुर, 13.3.10	फोटो स्टेट	975 Pe	@ 1	975.00
5	70/11–12 24.5.12	5819	श्री राम स्टोर्स फोर्ट एरिया जहानाबाद	प्लेन पेपर	10 जिस्ता	@ 15	150.00
				टैग	6 गुच्छा	@ 10	60.00
				पीन	3 पॅकेट	@ 16	48.00
				कार्बन	1 पैकेट	@ 150	150.00
				स्टेप्लर पीन	5 पैकेट	@ 11	55.00
				रजिस्टर	3 No.	@ 36	108.00
				फ्लूड	1 पीस	@ 75	75.00
				कैलकुलेटर	1		650.00
				गोंद	1 No.	700 ml	50.00
6	70/11–12 24.5.12	6010	मेसर्स लवली जेनरल स्टोर्स, मखदुमपुर	सादा कागज आदि			500.00
7	71/11–12 24.5.12	6236	सिलिकॉन कम्प्यूटर सिस्टम, जहानाबाद 1.11.11	12 AMP टोनर	1 Pc.	2950.00	2950.00
8	71/11–12 24.5.12	6251	सही विडियों सर्विसग लैब, मेन	कार्टिज	5Pc.	@ 130	650.00

			रोड, जहानाबाद 30.11.11				
9	71/11–12 24.5.12	6263	सिलिकॉन कम्प्यूटर सिस्टम जहानाबाद 19.11.11	12 AMP टोनर	1 Pc.	@ 2950	2950.00
10	71/11–12 24.5.12	6241	श्री कृष्णा सर्विस स्टेशन मखदुमपुर, जहानाबाद	डीजल		43.52	300.00
11	71/11–12 24.5.12	6056	भरथू ऑटो सर्विस पी० सी० रोड जहानाबाद	–	3.44 ली०	43.48	150.00
12	88/11–12 24.5.12	6177	सन्जीत डेकोरेटर एण्ड विडियोग्राफी, मखदुमपुर 15.6.11 किसान क्रेडिट कार्ड शिविर प्रखण्ड कार्यालय मखदुमपुर के लिए	–			1800.00
13	88/11–12 24.5.12	6180	प्रिन्स कम्प्यूटर सर्विस डाकबंग्ला चौराहा, पटना कम्प्यूटर/मरम्मती विल न०– 780/25.8.11	–		1 No	2600.00
14	88/11–12	6186	अमीन का भुगतान	–			2000.00

	24.5.12		नाम– भुन्दर प्रसाद अगस्त 10 का पारिश्रमिक				
15	88/11–12 24.5.12	6187	धमेन्द्र कुमार मजदूरी भुगतान	–			500.00
16	88/11–12 24.5.12	6205	अस्थीय अमीन को भुगतान साधुचरण प्रसाद	–			500.00
17	88/11–12 24.5.12	6217	श्री महावीर फोटो स्टेट कोर्ट एरीया, जहानाबाद	फोटो स्टेट	200 Pc		1200.00
18	88/11–12 24.5.12	6234	भोरी जेरॉक्स, अरवल मोड़ जहानाबाद		900 पीस		700.00
19	92/11–12 24.5.12	5838	मे0 अनुपम वस्त्रालय जहानाबाद दि0– 28.11.11	पैन्ट शर्ट	2.4 मीटर 4 मीटर	@ 190 @ 75	756.00
20	92/11–12 24.5.12	5839	पूनम टेलर्स, जहानाबाद 30.11.10	पैन्ट सिलाई शर्ट सिलाई		2 No 2 No	244.00
21	92/11–12 24.5.12	6194	श्री विष्णु वस्त्रालय मानपुर बाजार, गया दि0 20.10.11	पैन्ट शर्ट	2.40 मीटर 4 मीटर	@ 310 @ 115	1200.00
22	92/11–12 24.5.12	6230	ग्राम निर्माण मण्डल, खादी ग्रामोधोग	–	–	–	5000.00

			समिति, गया साया पेटोकोट आदि कपड़ा। दि0 – 15.11.11				
23	92/11–12 24.5.12	5908	न्यू स्टाईल हाउस मेनरोड जहानाबाद दि0– 1.3.11	शर्ट पैन्ट	सिलाई सिलाई	2 No. 2No.	480.00
24	92/11–12 24.5.12	6303	माँ इमला वस्त्रालय एण्ड रेडिमेड गारमेन्टस जी0 बी0 रोड, स्टेशन जहानाबाद दि0– 23.02.12	कॉटन साड़ी पॉपलीन ब्लाउज	2 पीस 4 मीटर 2/2	@ 485 @40 160 c.m @75	1250.00
25	70/11–12 24.5.12	5820.00	लवली जेनरल स्टोंस, मखदुमपुर जहानाबाद	बैटरी फूल झाड़ू नारियल झाड़ू फिनाईल एसीड बल्ब होल्डर	20 पीस 2 पीस 2 पीस 2 पीस 2 पीस 6 पीस 6 पीस	10/pc 35/pc 15/pc 45/pc 15/pc 10/pc 5/pc	200.00 70.00 30.00 90.00 30.00 60.00 30.00
26	70/11–12 24.5.12	5823.00	तदैव	कागज कार्बन पिन	1 पैकेट 2 पैकेट 12	280/पै0 152/पै0 15/पै0	280.00 300.00 180.00

				फ्लाई लीफ टैंग टेकुआ	पैकेट 50 पीस 6 गुच्छा 4 पीस	5/पीस 10/गुच्छा 10/पीस	250.00 60.00 40.00
27	70/11–12 24.5.12	5825.00	मेसर्स विलास इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड, जहानाबाद	मेट्रॉन 500 वाट ऑटोमेटिक स्टाईबलाईजर	01 No		1900.00
28	70/11–12 24.5.12	5827.00	माँ काली वस्त्रालय रेडिमेड गारमेन्टस पी0 सी0 रोड स्टेशन जहानाबाद	कॉटन साड़ी पॉपलिन 2X2	4 पीस 8 मीटर 4 पीस	380/पीस 35/मीटर 50/मीटर	1520.00 280.00 200.00
						योग –	30001.00

इस प्रकार उपर्युक्त सामग्रियों के भण्डार प्रविष्टी से सम्बन्धित प्रमाण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण क्रय एवं वितरण के सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है सम्बन्धित सामानों का भण्डार प्रविष्टी की जाँच सक्षम पदाधिकारी द्वारा करा कर वस्तुस्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। तब तक रू0 30,001.00 का व्यय आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता हैं।

कंडिका (8) सैरात की बन्दोबस्ती नहीं किये जाने के कारण रू0 13,43,585.00 सम्भावित राजस्व की क्षति :–

माँग एवं संग्रहण रिटर्न–1 विवरणी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में माँग एवं संग्रहण रिटर्न –1 के अनुसार 12,21,441.00 का सैरात एवं बन्दोबस्ती से राजस्व की प्राप्ति हुई थी, परन्तु कोषागार में जमा राशि की जाँच में पाया गया कि रू0 45,220.00 का ही राशि कोषागार में सैरात एवं बन्दोबस्ती मद में वर्ष 2012–13 में जमा किया गया था। इस सम्बन्ध में अंचल कार्यालय से पृच्छा करने पर बतलाया गया कि अनुमण्डल कार्यालय द्वारा शेष राशि 1176221.00

(12,21441–45,220=11,76,221) का सैरात एवं बन्दोबस्ती दी गई थी इसलिए अनुमण्डल कार्यालय के माध्यम से रू0 11,76,221.00 कोषागार में जमा किया गया था। उसी राशि को जोड़कर माँग एवं संग्रहण रिटर्न–1 विवरणी में दर्शाया गया हैं।

वर्ष 12–13 की अवधि में सैरात एवं बन्दोबस्ती नहीं किया जाना राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश एवं निर्देशों के प्रतिकूल हैं।

बिहार बन्दोबस्ती एवं राजस्व अधिनियम 1950 में प्रावधान है कि पिछले वर्ष हो गई बन्दोबस्ती में यानि 12,21,441.00 का 10 प्रतिशत अधिक जोड़कर कुल 13,43,585 की बन्दोबस्ती की जानी चाहिए थी जो नहीं किया गया, जबकि सैरात से प्राप्त आय सरकार का आय का स्त्रोत हैं। सैरात की बन्दोबस्ती की कार्रवाई समय पर करना चाहिए यदि सैरात की बन्दोबस्ती नहीं हो पाता हो तो उसकी वस्तुस्थिति से उच्च पदाधिकारी को शीध्र सूचित कर उचित अनुदेश प्राप्त करना चाहिए। परन्तु कार्यालय द्वारा उक्त बिन्दुओं का पालन नहीं किया गया था और न ही अंकेक्षण के समक्ष बन्दोबस्ती से सम्बन्धित संचिका , वार अभिलेख (Case-record) नहीं प्रस्तुत किये जाने के कारण वस्तुस्थिति की सभ्यता की जाँच नहीं की जा सकी। इस प्रकार रू0 13,43,585.00 की क्षति की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि वस्तुस्थिति की वास्तविकता की जाँच कर सरकारी कार्य में की गई शिथिलता के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर कारवाई की जाय एवं दी गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

कंडिका (9) कुल रू0 23,96,978.00 का असमायोजित अभिश्रव समायोजन हेतु लम्बित।

अभिश्रव पंजी के अवलोकन में पाया गया कि अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 7.2.14 को अभिश्रव पंजी के संवरण शेष में 23,96,978.00 असमायोजित अभिश्रव के रूप में दिखाया गया था, जिसमें अभिश्रव पंजी में दिनांक– 7.2.10 तक रू0 952602.18 पै0 असमायोजित अभिश्रव की राशि पड़ी थी। अभिश्रव पंजी पर अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, परन्तु 8.2.10 से 7.2.14 तक अंचलाधिकारी द्वारा हस्तक्षर नही

किया गया था। इस सम्बन्ध में आपत्ति निर्गत कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था। अतः 8.2.10 से 7.2.14 तक असमायोजित अभिश्रव की कुल राशि रू0 23,96,978.00 – 9,52,602.18 पै0)=14,44,375.82 संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं था। अभिश्रव पंजी पर हस्ताक्षकर नही किया जाना एवं इतनी बड़ी राशि असमायोजित अभिश्रव के रूप में रखा जाना आवंटित मद के राशि विचलन का धोतक हैं। जो बिहार बजट– हस्तगत के नियम 107,108,109 एवं 111 तथा 299 एवं 487 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है जिसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः अंकेक्षण का यह सुझाव है कि अभिश्रव पंजी में असमंजित अभिश्रव की राशि रू0 1444375.82 को सत्यापित कर एवं रू0 23,96,978.00 असमायोजित अभिश्रव से संबंधित आवंटन प्राप्त कर विचलन कर व्यय को नियमित कर लिया जाय। अतः प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकृष्ट किया जाता हैं। अतः विभाग इस ओर आवश्यक छानबीन कर असमायोजित अभिश्रव को नियमित कराया जाय तथा वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

भाग–3

कंडिका (10) रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन करने का सुझाव :–

(क) अंकेक्षण में रोकड़ पुस्त का जाँच एवं सत्यापन में पाया गया कि रोकड़ पुस्त अद्यतन लिखा नहीं पाया गया। साथ ही रोकड़ पुस्त का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया पाया गया।

खजानों के लिए लेखा नियमावली –1992 के नियम 41 के आलोक में प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ पंजी के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन आवश्यक है तथा यह भी प्रमाण अंकित करना आवश्यक है कि संवरण शेष में कोई भी राशि अनावश्यक रूप से निकासी कर नहीं रखी गयी हैं। इस सम्बन्ध में आपत्ति निर्गत कर स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया जो घोर लापरवाही का धोतक हैं।

अतः इस ओर विभाग का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है एवं इस सम्बन्ध में उच्च पदाधिकारी के द्वारा अभिलेख का निरीक्षण समय–समय पर किया जाय विशेषकर रोकड़ पंजी के संवरण शेष का विस्तृत विवरण भी लिखा जाया इस पर विशेष ध्यान की आवश्यकता हैं।

अतः अंकेक्षण के सुझाव के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ख) संवरण शेष का विस्तृत विवरण दर्ज करने का सुझाव :–

अंकेक्षण में पाया गया कि रोकड़ पुस्त में संवरण शेष का विस्तृत विवरण यथा वर्षवार, विपत्रवार एवं मदवार वित्तीय वर्ष 2011–12 एंव 2012–13 में अंकित नहीं किया गया था, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि संवरण शेष में पड़ी हुई राशि किस वर्ष, मद का है, जिससे अव्यवहृत राशि को कोषागार में जमा किया जा सकें। अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि संवरणा शेष का विस्तृत विवरण अंकित किया जाय।

(ग) अधिक संख्याओं में खाताओं का न रखने का सुझाव :–

अंकेक्षण में पाया गया कि अंचल कार्यालय के लिए तेरह (13) बैंक खाताओं को रखा गया था कई खाते मखदुमपुर अंचल कार्यालय से दूर अवस्थित थें।

अतः सुझाव दिया जाता है कि अधिक संख्या में खाता रखने का कोई औचित्य नहीं है जबकि दूर के खाताओं से लेन–देन नहीं होता हैं। इन्हे बन्द किया जाना चाहिए।

कंडिका (11) अव्यवहृत राशि रू0 2448039.39 कोषागार में जमा करने का सुझाव :–

सहायक रोकड़ पंजी की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 7.2.14 को विभिन्न रोकड़ पुस्तों में कुल रूपया 2448039.39 संवरण शेष में अव्यवहृत राशि के रूप में पड़ी थी जो अंकेक्षित अवधि के पूर्व से चला आ रहा था। संवरण शेष की राशि शीर्षवार निम्न प्रकार हैः–

स्थायी अग्रिम	– 200.00
2015 निर्वाचन	– 11997.67
एन0 आर0 ई0 पी0	– 91317.00

ब्याज — 492870.27

3454 जनगणना — 35850.00

2225 विधायक अनुदान — 2500.00

इन्दिरा आवास — 1144500.00

ग्राम पंचायत निर्वाचन — 188654.00

विधायक पार्षद कोटा — 123206.45

2056 भूबन्दोबस्ती अनुदान — 190.00

एकादश आयोग योजना — 16754.00

महादलित परिवार को भूमि क्रय हेतु— 340000.00

2448039.39

अतः अंकेक्षण का यह सुझाव है कि अव्यवहृत राशि को कोषागार में जमा किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

कंडिका (12) राजस्व वसूली की राशि रू0 109584.00 को सत्यापन करने का सुझाव :—

हल्का सं0 — 10 के राजस्व कर्मचारी द्वारा वर्ष 12—13 की अवधि में वसूली गई लगान राशि से संबंधित अभिलेखों की जाँच संगत अभिलेखों से करने पर पाया गया कि निम्नलिखित लगान रसीदों द्वारा लगान राशि की वसूली रू0 109584.00 की गई थी, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :—

क्र0 सं0	रसीद संख्या	वसूली की तिथि	लगान वसूली की राशि
1	568201 से 568250 तक	5.7.12 से 21.8.12 तक	3707.00
2	016201 से 016250 तक	5.11.12 से 16.01.13 तक	5453.00
3	842951 से 84300 तक	23.8.12 से 27.8.12 तक	4869.00
4	214351 से 214400 तक	27.8.12 से 11.9.12 तक	7378.00
5	214401 से 214450 तक	11.8.12 से 6.9.12 तक	6621.00
6	214451 से 214500 तक	6.9.12 से 19.9.12 तक	7588.00
7	214501 से 214550 तक	19.9.12 से 10.10.12 तक	4185.00

8	214551 से 214600 तक	10.10.12 से 15.11.12 तक	7737.00
9	254651 से 254700 तक	18.1.13 से 6.2.13 तक	3066.00
10	254751 से 254800 तक	8.2.13 से 22.2.13 तक	6013.00
11	179551 से 179600 तक	7.2.13 से 28.2.13 तक	1635.00
12	179651 से 179700 तक	12.3.13 से 15.3.13 तक	10831.00
13	568151 से 568200 तक	16.6.12	705.00
14	179851 से 179900 तक	13.3.13 से 18.3.13 तक	7652.00
15	179901 से 179950 तक	18.3.13 से 19.3.13 तक	8387.00
16	553301 से 553310 तक	20.3.13 से 30.3.13 तक	14014.00
17	197751 से 197800 तक	25.5.12 से 16.6.12 तक	2776.00
18	179601 से 179650 तक	1.3.13 से 11.3.13 तक	5489.00
19	197701 से 197750 तक	11.4.12 से 25.5.12 तक	1478.00
		कुल –	109584.00

उपरोक्त वसूली गई राशि से सम्बन्धित लगान रसीदों की कार्यालय प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध कराया गया था परन्तु रजिस्टर III A (कैश बुक) अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में आपत्ति निर्गत कर रजिस्टर III A की माँग की गई थी, परन्तु अंकेक्षण में इसे उपलब्ध नहीं कराया गया। रजिस्टर III A (कैश बुक) अंकेक्षण में अनुपलब्ध रहने के कारण रजिस्टर III A में अंकित वास्तविक वसूली गई राशि एवं रसीदों की कार्यालय प्रति पर अंकित राशि का जाँच एवं सत्यापन नहीं किया जा सका जिससे वसूली की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सका। यद्यपि वर्ष 12–13 में हल्का सं0–10 से राजस्व प्राप्ति की राशि रू0 119588.00 अंचल नजारत में जमा पाया गया परन्तु इसी राशि में रू0 109584.00 शामिल है या नहीं ज्ञात नहीं हो सका।

अतः अंकेक्षण सुझाव है कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा लगान रसीद रजिस्टर III A माँग कर वसूली की गई राशि जमा की गई है अथवा नहीं जाँचकर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

अतः नियंत्री पदाधिकारी/प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता हैं।

कंडिका (13) कोषगार सत्यापन में पाया गया कि शीर्ष 2029 में विपत्र सं0 68/12–13, 69/12–13 एंव 70/12–13 द्वारा क्रमशः रूपयें 26478, 3,06,600 एवं 81,655 की निकासी कोषागार द्वारा की गई थी, परन्तु संगत अभिलेखों से जाँच में पाया गया कि उक्त विपत्रों की राशियों की निकासी करने के पश्चात् रोकड़ पुस्त (2029) के आय एवं व्यय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया था जो खजानों के लिए लेखा नियमावली –92 के नियम 38 से 41 के प्रतिकूल हैं।

निकासी की गई राशि कर्मचारियों के वेतन, बकाया वेतन आदि से सम्बन्धित था, जिसका भुगतान के सम्बन्ध में सत्यापन वेतन भुगतान पंजी से कर लिया गया। वेतन भुगतान पंजी पर वेतन, बकाया वेतन विपत्र बनाया गया था। अतः भूलवश के कारण राशियों का लेखांकन नहीं किया जा सका।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि इसे रोकड़पुस्त में अंकित कर रोकड़ पुस्त को नियमित किया जाय तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इस ओर ध्यान रखा जाय।

19/3

उप लेखा नियंत्रक

वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार, पटना।

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम एवं पदनाम

(1) संत कुमार भगत व0 अं0–2

(2)

परिशिष्ट "क" 1"ट" से सम्बन्धित

अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

प्रस्तुत अभिलेख :–

1. विपत्र पंजी – 2011–12 एवं 12–13
2. रेमिटान्स पंजी – 2011–12 एवं 12–13
3. सामान्य रोकड़ पंजी – 2011–12 एंव 12–13
4. सहायक रोकड़ पंजी – 2011–12 एवं 12–13

   शीर्ष 2029 भू– राजस्व

   शीर्ष –2055 ग्रामीण पुलिस

   शीर्ष – 2015 निर्वाचन

   शीर्ष – 2245 सहाय्य

   शीर्ष – 2235 सामाजिक सुरक्षा
5. विभिन्न शीर्षो के अभिश्रवों की रक्षी पंजी – 2011–12 एवं 12–13
6. विभिन्न हल्कों का शुल्क संग्रहण पंजी एवं लगान रसीद की कार्यालय प्रति – वर्ष 2011–12 एवं 2012–13
7. बैकों का पासबुक, वर्ष 2011–12 एवं 12–13
8. वेतन भुगतान पंजी वर्ष 2011–12 एवं 12–13
9. सेवा पुस्त वर्ष 11–12 एवं 12–13
10. असमायोजित अभिश्रवों की पंजी, वर्ष 2011–12 एवं 12–13

अप्रस्तुत अभिलेख :–

1. वाहन से संबंधित लॉग बुक – वर्ष 11–12 एवं 12–13

2. वर्ष 11–12 में की गई बन्दोबस्ती का देश अभिलेख।

3. भण्डार पंजी – 11–12 एवं 12–13

4. 2245 वाद अभिलेख वर्ष 11–12 एवं 12–13

5. सैरात से सम्बन्धित पंजी एवं वाद अभिलेख – 11–12 एवं 12–13

परिशिष्ट "ख" कंडिका –2 (4) एवं 3 से सम्बन्धित

माँग एवं संग्रहण विवरणी वर्ष 2011–12

	Nature of Demand	Demand for the year 11-12			Collection of the year 11-12			Balance for yearn2012-13			Peresntage	Remark
		Arrear	current	Total	Arrear	current	Total	Arrear	current	Total		
1	रेन्ट	141042.01	70021.81	211063.82	40373.00	69183.00	209556.00	669.00	838.82	1507.82		
2	सेश	190482.10	89671.20	280153.30	64349.00	73340.00	137689.00	126133.00	16331.20	142464.30		
3	शि0 सेश	380964.20	179342.40	560306.60	128158.00	146680.00	274838.00	252806.20	32662.40	285468.60		
4	स्वा0 सेश	380964.20	179342.40	560306.60	126698.00	146680.00	273378.00	254266.20	32662.40	286928.60		
5	कृषि सेश	149367.00	71766.00	221133.00	43187.00	65480.00	108667.00	106180.00	6286.00	112466.00		
6	सूद	31868.00	0	31868.00	31868.00	0	31868.00	0	0	0		
7	योग	1274687.51	590143.81	1864831.32	534633.00	501363.00	1035996.00	740054.51	88780.82	828835.32		
8	सैरात	91471.00	1221441.00	1312912.00	0	1221441.00	1221441.00	91471.00	0	91471.00		
9	ग्रैण्ड टोटल	1366158.51	1811584.81	3177743.32	534633.00	1722804.00	2257437.00	831525.51	88780.82	920306.32		

माँग एवं संग्रहण विवरणी – 12–13

क्र0 सं0	माँग की प्रकृति	माँग वर्ष 12–13			संग्रहण वर्ष 12–13			संवरण वर्ष 13–14			प्रतिशत	अभ्यु0
		बकाया	चालू वर्ष	योग	बकाया	चालू वर्ष	योग	बकाया	चालू वर्ष	योग		
1	रेन्ट	1507.82	70021.82	71529.64	240632.70	65775.00	306407.70	–239124.88	4246.82	–234878.06		
2	सेश	142464.30	89671.20	232135.50	130465.35	67256.70	197722.05	11998.95	22414.50	34413.45		
3	शि0 सेश	285468.60	179342.40	464811.00	237745.15	145671.70	383416.85	47723.45	33670.70	81394.15		
4	स्वा0 सेश	286928.60	179342.40	466271.00	237347.15	145769.70	383116.85	49581.45	33572.70	83154.15		
5	कृषि सेश	112466.00	71766.00	184232.00	76328.20	66821.35	143149.55	36137.80	4944.65	41082.45		
6	सूद	0	39169.00	39169.00	0	39169.00	39169.00	0	0	0		
7	योग	828835.32	629312.82	1458148.14	922518.55	530463.45	1452982.00	–93683.23	98849.37	5166.14		
8	सैरात	91471.00	45220.00	136691.00	0	45220.00	45220.00	91471.00	0	91471.00		
9	अमीन फीस	0	34000.00	34000.00	0	34000.00	34000.00	0	0	0		
10	ग्रैण्ड टोटल	920306.32	708532.82	1628839.14	922518.55	609683.45	1532202.00	–95895.46	98849.37	96637.10		

परिशिष्ट "ग" कंडिका 3(i) से सम्बन्धित

शीर्ष 2029 भूराजस्व में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 2011–12

क्र0 सं0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1	वर्दी पोशाक	5000.00	5000.00	–	प्रत्यार्पणा प्रतिवदेन अप्राप्त
2	वर्दी पोशाक	5000.00	4930.00	70.00	
3	वाहन ईंधन के रख रखाव	25000.00	25000.00	–	
4	कार्यालय व्यय	11000.00	11000.00	–	
5	कार्यालय व्यय	10000.00	10000.00	–	
6	कार्यालय व्यय	7000.00	7000.00	–	
7	कार्यालय व्यय	7500.00	7500.00	–	
8	वेतन एवं भत्तें	4578852.00	4578852.00	–	
9	वेतन एवं भत्तें	1280648.00	1280000.00	648.00	
		6930000.00	6929282.00	718.00	

शीर्ष 2029 भूराजस्व में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 2012–13

क्र0 सं0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1	वेतन एवं भत्ते	6820000.00	6810644.00	9356.00	प्रत्यार्पणा प्रतिवदेन अप्राप्त
2	कार्यालय व्यय आदि	109420.00	83217.00	26203.00	
		6929420.00	6893861.00	35559.00	

शीर्ष 2055 पुलिस में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 2011–12

क्र0 सं0	मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1	वेतन एवं अन्य भत्ते	7936751.00	7486400.00	450351.00	प्रत्यार्पणा प्रतिवदेन अप्राप्त

शीर्ष 2055 पुलिस में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 2012–13

क्र0 सं0	मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1	वेतन एवं अन्य भत्ते	9736371.00	9733778.00	2593.00	प्रत्यार्पणा प्रतिवदेन अप्राप्त

शीर्ष 2035 सा0 सुरक्षा में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 2011–12

क्र0 सं0	मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1	शीर्ष 2235	3000.00	–	3000.00	प्रत्यार्पणा प्रतिवदेन अप्राप्त
	,,	7000.00	–	7000.00	
	,,	10000.00	10000.00	शून्य	
		20000.00	10000.00	10000.00	

वर्ष 2012–13

क्र0 सं0	मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शीर्ष 2245 सहाय्य में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 2011—12

क्र0 सं0	मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	अवशेष राशि
1	आग लगने से वस्त्रारि में अनुदान	80000.00	80000.00	शून्य
2	आग लगने से क्षतिग्रस्त मकान हेतु	100000.00	100000.00	शून्य
3	अग्निकाण्ड में मृत्यु होने पर राशि	21850.00	21850.00	शून्य

वर्ष 2012—13

क्र0 सं0	मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1	आग लगने से राहत कार्य के लिए नगद भुगतान	36000.00	36000.00	शून्य	

2	आग लगने से क्षतिग्रस्त मकान हेतु	15000.00	15000.00	शून्य	
3	आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रारि में अनुदान	30000.00	30000.00	शून्य	
4	महादलित परिवार में पुर्नसर्वेक्षण	10000.00	2000.00	8000.00	पत्रांक 312 दिनांक– 26. 3.13 द्वारा प्रत्यार्पित राशि
		91000.00	83000.00	8000.00	